



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
 18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09 . 07 . 2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri Ashok Kumar Rawat** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या.463 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गतसत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	अक्षत मिश्रा	श्री संतोष मिश्रा MOB- 8756012367	6	NO.1 कानपुर
2	अमरेन्द्र प्रताप सिंह	श्री नवनीत कुमार MOB- 9451977111, 8896289284	8	हरदोई
3	देवांश दीक्षित	श्री अस्वनी कुमार दीक्षित MOB- 9838745686	4	आई.आई.टी. कानपुर
4	वेदांश दीक्षित	श्री आदित्य नारायण दीक्षित MOB- 9839029429	4	आई.आई.टी. कानपुर
5	आराधना सिंह	श्री अभिषेक सिंह MOB- 6394767318, 9140852759	1	हरदोई
6	अर्चिल कुमार रंजन	श्री संदीप कुमार रंजन MOB- 8840045943, 9670808380	8	हरदोई
7	मोदिगल	श्री धर्मपाल राजवंशी MOB- 9695775696	6	हरदोई
8	अथर्व शुक्ला	श्री राहुल कुमार शुक्ला MOB- 91981166035	6	हरदोई
9	महक गौड़	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP		
10	उर्मि	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP		

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Ashok Kumar Rawat माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **LUCKNOW** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)